



JALAUN POLICE

दिनांक – 07.02.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 2 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 9,500/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम– अभियुक्त मंगल सिंह उर्फ ढप्पू पुत्र श्री दयाल नि० ग्राम व थाना नदीगांव जनपद जालौन द्वारा वादी के साथ मारपीट कर गाली-गलौज की गयी तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री कैलाश पुत्र जगमोहन कोरी नि० ग्राम व थाना नदीगांव जनपद जालौन की तहरीर के आधार पर दिनांक 17.07.2020 को थाना नदीगांव में मु०अ०सं० 74/2020 (वाद संख्या 97/21) धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द,ध एससी एसटी एक्ट बनाम 1- मंगल सिंह उर्फ ढप्पू पुत्र श्री दयाल नि० ग्राम व थाना नदीगांव जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था। दिनांक 24.08.2020 को अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी थी। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 31.08.2020 को आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 07.02.2025 को मा० न्यायालय एससी एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मंगल सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुये 2 वर्ष 06 माह का कारावास एवं 9,500/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।